समाहरणालय,कैमूर(भभुआ)

(आपूर्ति शाखा)

1. लाभूकों के बीच राशन/किरासन कूपनों का वितरण।

जिला मुख्यालय को माह जून 2010 से माह मई 2011 हेतु प्राप्त प्राप्त पंचायतवार वार कोडेड राशन/किरासन कूपनों को संबंधित सभी प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को प्रखण्डवार/पंचायतवार/वार्ड वार लाभूक परिवारों के बीच वितरण हेतु हस्तगत कराया जा चूका है।

जिला स्तर से ही लाभूकों के बीच राशन/किरासन कूपनों का विरतण कराये जाने हेतु राशन/किरासन कूपन वितरण पंजी की छपाई कराकर संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जा चूका है। कूपन वितरण कार्यो की समीक्षा विभिन्न स्तर पर प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा की जाती है। इस प्रक्रिया का सतत अनुश्रवण प्रखण्ड स्तर,अनुमण्डल स्तर एवं जिला स्तर पर किया जा रहा है।

2. विभिन्न योजनान्तर्गत खाद्यान्नों के उठाव,बैंक ड्राफ्ट, भण्डार निर्गमादेश,निर्गमन एवं वितरण

जिला के सभी प्रखण्डों एवं नगर निकायों में कार्यरत पणन पदाधिकारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षकों से हरेक माह की 10वीं तिथि तक विभिन्न योजनान्तर्गत बैंक ड्राफ्ट लगाने की सूचना प्राप्त की जाती है। तथा बैक ड्राफ्ट नहीं लगाये जाने वाले जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाती है,तथा इसी आधार पर जिला खाद्य प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम रोहतास–सह–कैमूर से भण्डार निर्गमादेश निर्गत किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया जाता है। तथा किसी भी परिस्थिति में भण्डार निर्गमादेश निर्गत किये जाने के विलम्ब हो जाने पर उन कारणों को ससमय दूर किया जाता है।

जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा लगाये जाने वाले बैंक ड्राफ्टों के विरूद्ध उठाव किये गये खाद्यान्नों का वितरण उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये गये राशन कूपनों के आधार पर नियमित रूप से प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षकों की देख–रेख में कराये जाते है।

12.8.10

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

12/8

समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)

(आपूर्ति शाखा)

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, द्वारा लागू तीन योजनाएँ इस जिला में चलाई जा रही है।

1. **अन्नपूर्णा योजना :–** 65 वर्ष से अधिक वृद्ध एवं निराश्रित 2452 लाभूकों को इस योजनान्तर्गत 6 किलो गेहूँ एवं 4 किलो चावल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। विभाग द्वारा प्राप्त माह अप्रैल 2010 से सितम्बर 2010 तक का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसका उपावंटन प्रखण्डों में कर दिया गया है। उपावंटन के आलोक में माह मई 2010 तक का उठाव किया गया है। वितरण की प्रक्रिया की जा रही है।
2. **अन्त्योदय अन्न योजना :–** इस योजना के अन्तर्गत कुल 42979 अन्त्योदय लाभूकों को प्रति परिवार 14 किलो गेहूँ एवं 21 किलो चावल मुहैया कराया जाता है। अप्रैल 2010 से मार्च 2011 तक प्राप्त आवंटन के आलोक में प्रखण्डों को उपावंटन किया गया है। लाभूकों को माह जुलाई 10 तक खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण किया जा रहा है।
3. **वी0पी0एल0 खाद्यान्न योजना :–** इस योजनान्तर्गत कुल 147093 लाभूकों के बीच प्रति परिवार 10 किलो गेहूँ एवं 15 किलो चावल मुहैया कराया जाता है। माह अप्रैल 2010 से मार्च 2011 तक प्राप्त आवंटन के आलोक में प्रखण्डों को उपांवटन किया गया है। माह जुलाई 10 के खद्यान्न का उठाव एवं वितरण किया जा रहा है।

12.8.10

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)
12/8